(83)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 114–चार/1997 – विरुद्ध आदेश दिनांक 16–6–1997 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर – प्रकरण कमांक 146 बी–121/1996–97 स्व0निगरानी

यादवेन्द्र कुमार (मृतक) पुत्र स्व.चंद्रशेखर शुक्ला
वारिस
1– अनूप शुक्ला 2– संजय शुक्ला
3– प्रदीप कुमार 4– दीपकुमार
5– सुनील शुक्ला पुत्रगण यादवेन्द्र कुमार
सभी निवासी ग्राम कांटी
तहसील विजयराघवगढ़ जिला कटनी ––आवेदकगण

विरुद्ध

1– म0प्र0शासन व्दारा अपर आयुक्त
जबलपुर संभाग, जबलपुर
2– नागेन्द्र पुत्र रवीन्द्रनाथ शुक्ला
3– नरेश पुत्र स्व. रबिन्द्रनाथ
4– राकेश (मृतक)पुत्र रबीन्द्रनाथ शुक्ला
वारिस
(अ) श्रीमती सुषमा पत्नि स्व0राकेश
(ब) सौरभ पुत्र स्व0राकेश
(स) नम्रता पुत्री स्व0राकेश
(द) काजल पुत्री स्व0राकेश
(क) नीरू पुत्री स्व0राकेश
5– श्रीमती मुन्नी उर्फ रानीदेवी पत्नि
स्व.रबीन्द्र शुक्ला सभी निवासी
गणेशप्रसाद मसुरहा बार्ड कटनी
तहसील कटनी जिला कटनी
–– अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)
(अनावेद क–1 के पैनल लायर श्री बी0एन0त्यागी)

आ दे श

(आज दिनांक 10–6–2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 146 बी–121/1996–97 स्व0निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16–6–97 के विरुद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश इस प्रकार है कि ग्राम कांटी स्थित भूमि सर्वे नंबर 797 रकबा 1.108 हैक्टर तथा भूमि सर्वे नंबर 197 रकबा 2.108 हैक्टर को तहसीलदार विजय राघवगढ़ ने आदेश दिनांक 20-2-1984 से आवेदक के नाम नामांत्रित की। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध ग्रामीण बुद्धुलाल एंव अन्य ने अनुविभागीय अधिकारी विजयराघवगढ़ के समक्ष अपील क्रमांक 75/अ-6/86-87 प्रस्तुत की । अपील की प्रचलनशीलता पर आवेदक यादवेन्द्र कुमार ने आपत्ति प्रस्तुत की, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 26-6-89 से निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 56 अ-6/91-92 में पारित आदेश दिनांक 29-2-1992 से अनुविभागीय अधिकारी विजयराघवगढ़ का अपील प्रकरण समाप्त किया तथा कलेक्टर जबलपुर को निर्देश दिये गये कि वह तहसीलदार के आदेश दिनांक 20-2-1984 को स्वमेव निगरानी में लेकर बैधानिकता/औचित्यता का परीक्षण करें।

कलेक्टर जबलपुर ने प्रकरण दर्ज कर आवेदक यादवेन्द्र कुमार, रबीन्द्रनाथ को कारण बताओ नोटिस दिनांक 4-7-94 जारी किया। वाद में प्रकरण अपर कलेक्टर कटनी को हस्तांतरित होने पर अपर कलेक्टर कटनी ने प्रकरण क्रमांक 146/96-97 स्वमेव निगरानी पर दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की, किन्तु संहिता की धारा 50 में 15-12-1995 को हुये सॅशोधन के परिप्रेक्ष्य में स्वमेव निगरानी की शक्तियॉ आयुक्त/ अपर आयुक्त में वेष्ठित हो जाने से प्रकरण अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर को अंतरिम आदेश दिनांक 19-3-96 से हस्तांरित हुआ, जिस पर अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग ने प्रकरण क्रमांक 146 बी-121/96-97 स्वमेव निगरानी पर पंजीबद्ध करके कार्यवाही प्रारंभ की। सुनवाई के दौरान यादवेन्द्र कुमार आदि की ओर से आपत्ति की गई कि शिकायत के आधार पर स्वमेव निगरानी दर्ज नहीं की जा

सकती एंव वर्ष 1984 में किये गये नामान्तरण आदेश को 10 वर्ष वाद स्वमेव निगरानी में नहीं लिया जा सकता। अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने आदेश दिनांक 16-6-97 पारित किया एंव आपत्तियॉ निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण एंव अनावेदक कमांक-1 के अभिभाषक को सुना। उन्होंने सात दिवस में लेखी बहस प्रस्तुत करने का अभिवचन किया। नियत अवधि में लेखी बहस प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण बार-बार सूचना पत्र भेजे जाने एंव रजिस्टर्ड डाक से सूचना भेजने के वाद भी अनुपस्थित रहे हैं अतएव उनके विरूद्ध एकपक्षीय है।

4/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों / विद्वान अभिभाषकों के तर्को के कम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर विचार करने के उपरांत प्रकरण में मात्र दो बिन्दुओं पर विचार किया जाना है ।

(अ) **तहसीलदार व्दारा वर्ष 1984 में दिये गये नामान्तरण आदेश को 10 वर्ष वाद स्वमेव निगरानी में लिया जा सकता है ?**

याची व्दारा 2 हैक्टर भूमि आवंटन में प्राप्त कर भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त किया, 13-14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की गई। म0प्र0 उच्च न्यायालय व्दारा अभिमत दिया गया कि प्रत्यर्थी क. 1, 2 को पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं था। उन्हें निर्णय देने में त्रृटि की गई है। **काशीराम विरूद्ध हरीराम 2008(1) MPLJ 282 (M.P.)= 2008 (1) M.P.H.T. 170**

स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियॉ युक्तियुक्त समय में ही प्रयुक्त की जा सकती हैं । भूमि का पटटा दिया गया। उस पर भवन का निर्माण किया गया, 10 वर्ष पश्चात पटटा रदद् किया जाना तर्क संगत नहीं है किसी मामले में एक वर्ष का समय भी अयुक्तियुक्त हो सकता है। **सीताराम विरूद्ध म0प्र0राज्य 1999 रा0नि0 82 हाई कोर्ट**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि तहसीलदार व्दारा वर्ष 1984 में दिये गये आदेश को 10 वर्ष वाद स्वमेव निगरानी में नहीं लिया जा सकता। इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा आदेश दिनांक 16-6-97 में निकाला गया निष्कर्ष विसंगतिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(ब) **आवेदक की आपत्ति है कि शिकायत के आधार पर स्वमेव निगरानी दर्ज कर सुनवाई नहीं की जा सकती, जिसे अपर आयुक्त,जबलपुर संभाग ने आदेश दिनांक 16-6-97 से अमान्य किया है।**

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि ग्रामीण बुद्धुलाल एंव अन्य व्दारा अनुविभागीय अधिकारी विजयराघवगढ़ के समक्ष अपील कमांक 75/अ-6/86-87 प्रस्तुत की गई है, जिसे आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने प्रकरण कमांक 56 अ-6/ 91-92 में पारित आदेश दिनांक 29-2-1992 से अनुविभागीय अधिकारी विजयराघवगढ़ के अपील प्रकरण को समाप्त किया । विचार योग्य है कि मामला आवेदक एंव मध्य प्रदेश शासन के बीच का है तब क्या ग्रामीण बुद्धुलाल एंव अन्य को तहसीलदार के आदेश दिनांक 20-2-1984 के विरूद्ध अपील/निगरानी करने की पात्रता हैं ?

1. **भूमि आवंटन की कार्यवाही में व्यक्ति पक्षकार नहीं है। उसके व्दारा पुनपरीक्षण याचिका या अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती । देवी प्रसाद विरूद्ध नाके 1975 रा0नि0 67 हाईकोर्ट**
2. **भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)-धारा-44 सहपठित 50 - जहां अपील एंव निगरानी का उपचार प्राप्त है पक्षकार की शिकायत पर भूमिग्रहीता के विरूद्ध कार्यवाही नियमानुकूल नहीं है।**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 20-2-1984 के विरूद्ध अपील/निगरानी का उपचार प्राप्त होने से शिकायती आवेदन पर स्वमेव निगरानी दर्ज कराने का आयुक्त, जबलपुर संभाग व्दारा निर्णय भी उचित नहीं है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग,

जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 146 बी-121/1996-97 स्व0 निगरानी में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 16-6-97 भी त्रृटिपूर्ण है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 146 बी-121/1996-97 स्व0 निगरानी में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 16-6-97 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव तहसीलदार विजयराघवगढ़ व्दारा पारित आदेश दिनांक 20-2-1984 स्थिर रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर